

### कार्रवाई करना

'क'-29. श्री रामेश्वर प्रसाद — स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 22 फरवरी, 2011 को प्रकाशित शोधक "मौका मिला तो पहाड़ ही लूट लिया" को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला अन्तर्गत सासाराम प्रखण्ड के धोड़ाहु ग्राम के पास सिंचाई विभाग के अधीन पहाड़ को खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा पहाड़ माफियाओं के साथ मिलीभागत करके 4 एकड़ पहाड़ की नीलामी कर दी गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि 4 एकड़ पहाड़ के आड़ में माफियाओं द्वारा पिछले 3 वर्षों से करीब 200 एकड़ पहाड़ का अवैध ढांग से खनन किया जा रहा है, जिससे सरकार को करोड़ों रुपये की राजस्व की हानि हो रही है;

(3) क्या यह बात सही है कि सिंचाई विभाग के उक्त पहाड़ का जो बन कंप के अधीन आता है उसकी नीलामी पर रोक है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अवैध खनन को बन्द कर दीशी पराधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

### अनुमोदन करना

40. श्री शम्सेवक सिंह — क्या मंत्री, मानव संसाधन विकास (मांशि०) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि शिक्षक नियोजन नियमावली, 2006 के आलोक में नवनियोजित शिक्षकों के स्थानांतरण एवं प्रतिनियुक्ति के सम्बन्ध में मानव संसाधन विकास विभाग के पांचक 1298, दिनांक 7 अप्रैल 2008 के द्वारा पत्र निर्गत किया गया है, जिसके अनुसार प्रखण्ड शिक्षक/नगर शिक्षक (प्रशिक्षित) को अपनी सेवाकाल में नियोजन के तीन वर्ष बाद अधिकतम दो बार स्थानान्तरण लेने की सुविधा रहेगी;

(2) क्या यह बात सही है कि निर्गत पत्र के अनुसार स्थानान्तरण की कार्रवाई प्रखण्ड/नगर निकाय के लिए गठित समिति के द्वारा की जाएगी;

(3) क्या यह बात सही है कि निर्गत पत्र के अनुसार नियोजन इकाई द्वारा स्थानान्तरण करने का अनुमोदन गज्य के जिला शिक्षा अधीक्षकों द्वारा नहीं किया जा रहा है जिससे स्थानान्तरण की कार्यवाही वाधित है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नियोजन इकाई द्वारा किया गया स्थानान्तरण का अनुमोदन करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

### बृद्धाश्रम खोलना

41. श्री दिनकर राम — क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना में एक और बृद्धाश्रम नहीं है, यदि हाँ, तो क्या सरकार पटना में बृद्धाश्रम (ओल्ड होम) खोलने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

'क'—दिनांक 8 मार्च 2011 से सदन द्वारा स्थगित।

### उत्पाद शुल्क की वसूली

**'ख' 42. श्री मंजीत कुमार सिंह** — क्या मंत्री, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य नियेध विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि विहार के सीमावर्ती उत्तर प्रदेश की चौनी मिल, प्रतापपुर चौनी मिल द्वारा दिनांक 22 जनवरी 2011 तक विहार के 5.50 लाख किलोटल गन्ना का पेराई किया गया है, जिसमें माप-दण्ड के अनुसार करीब 25 हजार किलोटल छोवा निकला;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रतापपुर चौनी मिल द्वारा की गई उपरोक्त गन्ने की पेराई से 'उत्पादित छोवा का उत्पाद शुल्क करीब 6 करोड़ रुपया है, जो विहार सरकार के खाते में वसूलनीय है' ;

(3) क्या यह बात सही है कि प्रतापपुर चौनी मिल द्वारा उपरोक्त उत्पाद शुल्क विहार सरकार के खाता में अवश्यक जमा नहीं किया गया है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रतापपुर सुगर मिल से 6 करोड़ उत्पाद शुल्क की वसूली करना चाहती है, यदि हाँ, तो कबतक और नहीं, तो क्यों ?

### भवन का निर्माण

**43. श्री कण्णनन्दन यादव** — क्या मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला के अन्य पिछड़ा वर्ग, कन्या आवासीय 10+2-उच्च विद्यालय, गया की स्थापना 6 दिसंबर, 1999 है, को हुआ;

(2) क्या यह बात सही है कि भवन तथा जलवायस के न रहने और पाठ्य सामग्री के अभाव के कारण नामंकन कराकर भी विद्यार्थियों को अपने घर वापस चला जाना पड़ता है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय के भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पटना:

दिनांक 15 मार्च, 2011 (ई०)

गिरीश जा,

प्रभारी सचिव,

विहार विधान-सभा।

नोट— 'ख'—गन्ना उद्योग विभाग के प्रांक 353, दिनांक 23 फरवरी, 2011 द्वारा निबंधन, उत्पाद एवं मद्य नियेध विभाग में स्थानांतरित।

बिहारमुख (एल००४०)१४५-डॉ०१००१०-४५०-